



राजस्थान सरकार

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.1(2)वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट-।

जयपुर, दिनांक 26.02.2019

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

1. The following new entry at S.No. 442 in Appendix-8 of the said rules shall be added as under :

"442. Director, Evaluation Department, Rajasthan, Jaipur."

आज्ञा से,

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिवगण ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
8. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
10. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्तगण ।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ।
16. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें ।

26/2/19
मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR - 03/2019)